



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1488]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2011/श्रावण 11, 1933

No. 1488]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2011/SRAVANA 11, 1933

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2011

का.आ. 1781(अ).—राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का अधिनियम सं. 20) की धारा 3 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा डॉ. चारु वलीखन्ना को राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य नियुक्त करती है।

2. डॉ. चारु वलीखन्ना पदभार ग्रहण करने की तारीख से अगले तीन वर्ष की अवधि तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर बनी रहेंगी।

[फा. सं. 9-7/2009-डब्ल्यू.डब्ल्यू. (खण्ड II) (पार्ट)]

प्रीति मदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2011

S.O. 1781(E).—In pursuance of Section 3 of the National Commission for Women Act, 1990 (20 of 1990) the Central Government hereby nominates Dr. Charu WaliKhanna as a Member of National Commission for Women.

2. Dr. Charu WaliKhanna shall hold office for a period of three years from the date of assumption of charge of office or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9-7/2009-WW(Vol. II)(Pt.)]

PREETI MADAN, Jt. Secy.